कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, रंग मंदिर के पास, गांधी चौक, छोटापारा, रायपुर (छ.ग.)
Pho. no. 0771-2535780,90, Fax. 077172227395, E-mail- dc_rmc@rediffmail.com

//रूचि की अभिव्यक्ति (द्वितीय आमंत्रण)//

रायपुर दिनांक 11/02/2021

कमांक –2267/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2021

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 05 स्थलों पर 5 स्टार होटलों की तर्ज पर एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के ओडीएफ++ प्रोटोकॉल के तहत सर्वसुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय काम्पलेक्स (पुरूषों/महिलाओं/बच्चों/तृतीय लिंग/दिव्यांगजन की व्यवस्था सहित महिलाओं के लिए Feeding Room एवं वेटिंग लांच) का निर्माण करते हुए 10 वर्षो तक मरम्मत के साथ संचालन–संधारण किया जाना है। इस हेतु शौचालय निर्माण स्थल पर/निगम द्वारा बताये गये स्थल पर विज्ञापन फलक के माध्यम से विज्ञापन प्रचार–प्रसार करने का अधिकार दिया जायेगा। इस संबंध में आपके तकनीकी तथा आर्थिक सुझाव रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से आमंत्रित है। स्थल का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) **पंडरी, खालसा स्कूल के सामने आक्सीजोन के पास**
(2) **तेलीबांधा तालाब परिक्षेत्र में कर्मा हॉस्पिटल के सामने की ओर**
(3) **रविभवन के पास**
(4) **मालवीय रोड**
(5) **गांधी भवन के पास**

उपरोक्त कार्य हेतु अशासकीय संस्थान (एन.जी.ओ.), लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार, नगर पालिक निगम रायपुर में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसी से रूचि की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest) **दिनांक** 26/2/21 समय सायं 5:00 बजे तक नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश शाखा, कक्ष क्र. 311 में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस हेतु आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरण, नियम शर्तें नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये **आवेदन पत्र के साथ** प्रत्येक स्थल हेतु राशि रू. 2,000/– का डिमांड ड्राफ्ट, जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

— आवेदन —

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर छ0ग0

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम, रायपुर

विषय:- नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न 05 स्थलों पर 5 स्टार होटलों की तर्ज पर एवं भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के ओडीएफ++ प्रोटोकॉल के तहत सर्वसुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय काम्पलेक्स (पुरूषों/महिलाओं/बच्चों/तृतीय लिंग/दिव्यांगजन की व्यवस्था सहित महिलाओं के लिए Feeding Room एवं वेटिंग लांच) का निर्माण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) बाबत् आवेदन।

संदर्भ:- आपके कार्यालय द्वारा जारी रूचि की अभिव्यक्ति क्र. .... दिनांक ....

महोदय,

प्रस्तावित कार्य हेतु मेरे द्वारा सहमति प्रदान की जाती है तथा उपरोक्त कार्य हेतु मेरी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

1. संस्था का नाम – ....

2. संस्था का पंजीयन क. एवं दिनांक ....

3. संचालक/अध्यक्ष का नाम ....

वर्तमान पत्र व्यवहार का पता– ....

....

....

4. मोबाईल/दूरभाष क्र. – ....

5. निम्न दस्तावेज संलग्न है– 1. आवेदन एवं संस्था का जीवित पंजीयन तथा संबंधित दस्तावेज, 2. कार्यानुभव, 3. गत तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति 4. ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र (स्टॉम्प पेपर पर)

प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है, तथा मैने नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा इस कार्य बाबत् जारी नियम एवं शर्तो का अध्ययन कर लिया है तथा उक्त नियम एवं शर्तो से सहमत हूँ। मेरे द्वारा गलत जानकारी एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मै स्वयं जवाबदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक: संस्था की मुहर हस्ताक्षर एवं नाम

सर्वसुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय काम्पलेक्स निर्माण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) की नियम एवं शर्ते

1 रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रस्ताव के साथ संस्था से संबंधित समस्त दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 राज्य शासन अथवा सरकारी प्रतिष्ठान से एन.जी.ओ., लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार, नगर पालिक निगम रायपुर में पंजीकृत विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3 संस्था का गत तीन वर्ष का वार्षिक व्यापार विवरण (yearly turnover), पंजीकृत चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रति जमा करना होगा ।

4 संस्था द्वारा विगत 03 वर्षों में इसी प्रकृति के कार्य बाबत् अनुभव का प्रमाणिक (अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति) प्रतियॉं जमा करना होगा।

5 विगत तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।

6 आवेदक/फर्म/संस्थान/एन.जी.ओ./पंजीकृत ठेकेदार शासन की किसी भी अन्य कार्यालय/संस्था द्वारा दंडित/ब्लैक लिस्ट नही है, इस आशय का शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा।

7 निर्मित शौचालयों में पुरूषों, महिलाओ, बच्चो एवं तृतीय लिंग के लिए पृथक–पृथक हिस्से में, शौचालय, मूत्रालय (यूरिनल), की व्यवस्था होगी। एक शौचालय विकलांगों के लिये भी होगी। विकलांगो के सुविधापूर्वक आवागमन हेतु रैम्प का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया जाना होगा।

8 **संस्थान/एन.जी.ओ./एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/अनुभव/श्रेष्ठ ड्राईंग, डिजाईन, आगणन सहित संचालन एवं संधारण हेतु प्रस्ताव के आधार पर एजेंसियों/संस्था का चयन किया जायेगा।**

9 **यह एक Revenue Model की तरह है, जिसमें एजेंसी सुविधाये बनायेगी, संधारण–संचालन करेगी। इसके लिए उनको विज्ञापन हेतु माध्यम बनाने तथा उस पर विज्ञापन का अधिकार दिया जायेगा तथा एजेंसी Revenue नगर निगम को Share करेगी।**

10 **रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से पात्र एजेंसियों का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् चयनित एजेंसियों को ही इस निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।**

11 उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि तक स्वीकार्य किये जायेगें। अन्य माध्यम एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगा।

12 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नगर पालिक निगम नगर निवेश विभाग रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर